

(शासनादेश सं०-सा 3/1713/दस-89/833/89 दिनांक 28.07.89 के अधीन निर्धारित)

# एकीकृत पेंशन प्रपत्र

A Set of Pension Profarma

(प्रपत्र भरने के अनुदेश सहित)

पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण  
जी०पी०एफ० अन्तिम भुगतान एवं सामूहिक  
बीमा योजना की स्वीकृति हेतु

## प्रार्थना पत्र

फार्मों की सूची-

भाग-1 प्रार्थना पत्र

भाग-2 पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी का प्रार्थना पत्र

भाग-3 प्रार्थी का विवरण

भाग-4 सेवा इतिहास

भाग-5 कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु

संलग्नक 1 व 2 इन्डिमनिटी बांड

प्रपत्र 2 अन्तिम देय प्रमाण पत्र (एल०पी०सी०)

प्रारूप

PENSION CASE NO

NAME OF DEPARTMENT

NAME OF OFFICIAL

DATE OF RETIREMENT

P.R.O. NO

DATE OF ISSUE

HOME ADDRESS

## प्रार्थना-पत्र

### भाग-1

## पेन्शन / सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी / राशिकरण के लिए प्रार्थना-पत्र

(फार्म भरने के पूर्व भाग-8 में उल्लिखित निर्देश पढ़ लिये जाये)

सेवा में,

.....(कार्यालयाध्यक्ष का पद नाम तथा पता)

.....  
.....

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है मुझे पेन्शन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेन्शन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें-

1. नाम :- .....
2. पिता / पति का नाम :- .....
3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता :- .....
- (क) स्थायी निवास स्थान :- .....
- (ख) पत्र व्यवहार का पता :- .....
4. जन्म-तिथि :- .....
5. सेवा प्रारम्भ करने की तिथि :- .....
6. सेवानिवृत्ति की तिथि :- .....
7. अन्तिम पद जहाँ से सेवानिवृत्त हुए का पदनाम तथा कार्यालय / विभाग का नाम एवं पता :- .....
8. मृत्यु होने की दशा में नामिनी का नाम एवं पता जिसे जीवनकालीन अवशेष का भुगतान किया जाये :- .....
9. पेन्शन का भाग या पेन्शन की धनराशि जिसका राशिकरण अपेक्षित है :- .....
10. भुगतान किस कोषागार से आहरित करना चाहते हैं - :- .....
11. कोई अन्य पेन्शन, यदि प्राप्त करते हों तो (अ) उसकी धनराशि, पी0पी0ओ0 नं0 तथा कोषागार का नाम :- .....
- (ब) क्या इस पेंशन में पारिवारिक पेन्शन का विकल्प दिया है :- .....

12. परिवार का विवरण :-

क्र० सं०	परिवार के सदस्यों का नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

भवदीय / भवदीया

.....  
(सरकारी सेवक के हस्ताक्षर)

### घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेन्शन / सेवा आनुतोषिक सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेन्शन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाये। मैं भली-भाँति अवगत हूँ कि मुझे इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गयी धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेंगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापस करनी होंगी। मैं वचन देता / देती हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूँगा / दूँगी।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये

(यथासम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिये जहाँ से सेवानिवृत्त हुए)

1.	नाम..... पदनाम्..... पता.....	हस्ताक्षर
2.	नाम..... पदनाम्..... पता.....	हस्ताक्षर

## भाग-2

### पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

.....(कार्यालयाध्यक्ष का पद नाम तथा पता)

.....

.....

महोदय,

मेरा तथा मृत सरकारी सेवक का विवरण निम्नवत् है मुझे पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की कृपा करें-

1. मृत सरकारी सेवक का नाम :- .....
2. मृत सरकारी सेवक के पिता / पति का नाम :- .....
3. मृत सरकारी सेवक द्वारा धारित अन्तिम पद का नाम तथा विभाग / कार्यालय का नाम एवं पता :- .....
4. क्या मृत सरकारी सेवक पेन्शन पा रहा था? यदि हाँ तो :-
  - (क) सेवानिवृत्ति का दिनांक :- .....
  - (ख) पेन्शन भुगतानादेश संख्या :- .....
  - (ग) पेन्शन प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं पता :- .....
5. प्रार्थी का :-
  - (क) नाम :- .....
  - (ख) पिता / पति का नाम :- .....
  - (ग) जन्म / तिथि :- .....
  - (घ) मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध :- .....
6. मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार के सम्बन्धित सदस्य का पता जिसे पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत की जायेगी :-
  - (क) स्थायी निवास स्थान :- .....
  - (ख) पत्र व्यवहार का पता :- .....
7. सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न है) :- .....

8. मृत सरकारी सेवक का विवरण :-

क्र० सं०	परिवार के सदस्यों का नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

9. कोषागार का नाम जहाँ से भुगतान अपेक्षित है :- .....

10. अन्तिम पारिवारिक पेन्शन / ग्रेच्युटी की धनराशि (यदि कोई हो)

(क) पारिवारिक पेन्शन :- .....

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी :- .....

(प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान)

### घोषणा

मैं.....पत्नी/पति, पुत्र/पुत्री स्वर्गीय श्री..... की (विभाग) कार्यालय का नाम ..... द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकार करते हुये यह घोषणा करता/करती हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी से अधिक धनराशि किसी त्रुटिवश भुगतान कर दी जाती है तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति न होगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये

1.	नाम..... पदनाम्..... पता.....	हस्ताक्षर, दिनांक सहित
2.	नाम..... पदनाम्..... पता.....	हस्ताक्षर, दिनांक सहित

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर दिनांक सहित)

(उपर्युक्त साक्षी यथासम्भव उसी कार्यालय में कार्यरत् होने चाहिये जहाँ मृत कर्मचारी कार्यरत् था। अन्य स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी साक्षियों के सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लेंगे।)

## भाग-3

### प्रार्थी का विवरण

(स्वीकृति अधिकारी को भेजी जाने वाली प्रति में यह भाग, दो प्रतियों में भरकर भेजा जायेगा।

कार्यालयाध्यक्ष अपने अभिलेख हेतु इस फार्म की एक प्रति ही भरवायेंगे। प्रदेश के बाहर पेन्शन प्राप्त करने की स्थिति में अतिरिक्त दोनों फार्मों में भाग-3 की एक ही प्रतिलिपि रखी जायेगी।)

1. सरकारी सेवक की पत्नी / पति के साथ पासपोर्ट आकार में सत्यापित संयुक्त फोटो (मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना फोटो)
2. सरकारी सेवक का नाम.....  
पदनाम तथा कार्यालय का नाम.....  
.....
3. सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेन्शन / मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु प्रार्थी का नाम तथा सरकारी सेवक से सम्बन्ध.....  
.....
4. नमूने के हस्ताक्षर :-  
(क) सरकारी सेवक (उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे)  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
(ख) सरकारी सेवक की पत्नी / पति या अन्य प्रार्थी के (उनके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने, दोनों दशाओं में) करवाये जायेंगे।  
1. ....  
2. ....  
3. ....
5. यदि सरकारी सेवक या उसकी पत्नी / पति अथवा अन्य प्रार्थी अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं तो दायें अथवा बायें अंगूठे एवं उँगलियों के निशान।  
(क) सरकारी सेवक के .....  
(ख) पत्नी / पति या अन्य प्रार्थी के.....
6. वैयक्तिक पहचान :-  
(क) सरकारी सेवक / पारिवारिक पेन्शनर की ऊँचाई.....  
(ख) सरकारी सेवक / पारिवारिक पेन्शनर के पहचान चिन्ह.....

फोटोग्राफ  
  
(सत्यापन इस प्रकार किया जाये कि सील तथा हस्ताक्षर फोटो एवं फार्म दोनों पर हो)

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के दिनांक सहित हस्ताक्षर,  
नाम तथा पदनाम (सील सहित)

## भाग-4

### सेवा का इतिहास

सरकारी सेवक का नाम.....

क्रमांक	कब से कब तक (केवल दिनांक) दिये जायें ।	पद का नाम जिस पर कार्य किया (स्थान सहित) अवकाश, असाधारण अवकाश, निलम्बन, प्रोन्नति, पदावनति, प्रतिनियुक्ति, व्यवधान की अवधियाँ भी इंगित की जायें ।	स्तम्भ-3 में दर्शायी गई अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेंशनयुक्त नहीं है तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाय ।
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर.....

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पता)

दिनांक :-.....

**भाग-5**  
**(कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु)**

1. सरकारी सेवक का नाम :- .....
2. सरकारी सेवक की जन्म-तिथि :- .....
3. सेवा में आने का दिनांक :- .....
4. सेवानिवृत्ति का दिनांक :- .....

	वर्ष	मास	दिन
5. कुल अवधि(4-3)	_____	_____	_____
6. सैन्य सेवा जो पेन्शन के लिए अर्ह की है, कि अवधि (ऐपेन्डिक्स - ए संलग्न किया जाय)	_____	_____	_____
7. अन्य सेवा (यदि कोई हो) जिसे पेन्शन हेतु अर्ह माना गया, (आदेश संलग्न करें)	_____	_____	_____
8. पेन्शन अनर्ह सेवा :-	_____	_____	_____
(क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा	_____	_____	_____
(ख) सेवा में विच्छेद	_____	_____	_____
(ग) पेन्शन के लिए अनर्ह निलम्बन की अवधि	_____	_____	_____
(घ) कोई अन्य सेवा जो पेन्शन हेतु अनर्ह हो (कारण सहित उल्लेख किया जाय)	_____	_____	_____

योग (क+ख+ग+घ)

	वर्ष	मास	दिन
9. पेन्शन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि (5 + 6 + 7 - 8)	_____	_____	_____

10. पेन्शन का प्रकार या.....(छमाहियाँ)  
प्रतिकर / अशक्तता / रिटायरिंग / अधिवर्षता

11. सेवानिवृत्ति के दिनांक को मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित परिलब्धियाँ :- .....

12. औसत परिलब्धियों का आगणन

अन्तिम दस मास में प्राप्त / प्राप्त होने वाली परिलब्धियाँ (अनावश्यक को निरस्त कर दिया जाय)

धारित पद	दिनांक से	दिनांक तक	परिलब्धियाँ मूल नियम- 9 (21)(1) में परिभाषित	अन्य
योग (स्तम्भ-4 का) ÷ 10 = ₹				



13. पेन्शन का आगणन
14. सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन  
(पेन्शन अर्हसेवा 10 वर्ष से कम होने पर पेन्शन के स्थान पर अनुमन्य)
15. सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन
16. सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो)
17. शुद्ध सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि
18. पारिवारिक पेन्शन का आगणन  
(क) सामान्य दर  
(ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांक..... से ₹ .....  
प्रतिमाह तथा दिनांक..... से ₹ ..... प्रतिमाह (सामान्य दर)
19. पेन्शन / पारिवारिक पेन्शन प्रारम्भ होने का दिनांक
20. पेन्शन का भाग अथवा धनराशि, जिसका राशिकरण अनुमन्य है
21. राशिकृत मूल्य का आगणन
22. राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेन्शन की धनराशि ₹
23. कोषागार का नाम जहाँ से पेन्शन / सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु ग्रेच्युटी / राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे ।
24. अनन्तिम पेन्शन / पारिवारिक पेन्शन (यदि कोई स्वीकृत की गयी हो)
25. अनन्तिम सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी (यदि कोई स्वीकृत की गयी हो)
26. पेन्शन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनांक ..... (यह तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिए) तक :-  
(1) भवन निर्माण अग्रिम में से ₹ ..... की धनराशि देना शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है ।  
(2) मोटरकार / मोटर साइकिल / स्कूटर / मोपेड आदि अग्रिम में से ₹ .....की धनराशि शेष है/ कोई धनराशि शेष नहीं है ।  
(3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से ₹ ..... की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है ।  
(4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक.....तक ₹ ..... की धनराशि किराये के रूप में अवशेष है / कोई धनराशि अवशेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति से दिनांक..... तक ₹ ..... और देना अवशेष रह जायेगा ।  
(5) आडिट परिणाम स्वरूप ₹ .....की धनराशि शेष है / कोई धनराशि शेष नहीं है ।  
(6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ .....की धनराशि देय है/ कोई धनराशि देय नहीं है ।  
(7) अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाय) ₹ ..... की धनराशि देय है / कोई धनराशि देय नहीं है ।
27. क्या श्री.....(सरकारी सेवक का नाम) के विरुद्ध कोई न्यायिक / विभागीय अथवा प्रशासनाधिकरण जाँच लम्बित है, यदि हाँ तो वर्तमान स्थिति बताई जाय ।  
(यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाई गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचरण के दोषी हो तो उसका विवरण, दिया जाय ।)

नोट :- विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त कॉलम स्पष्ट रूप से पूर्ण किये गये हों ।

(विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के  
दिनांक सहित हस्ताक्षर तथा पदनाम)

## संलग्नक-I

This deed of indemnity is made on the.....day of .....  
20.... corresponding to Saka Samvant the .....day of .....20..... by  
Sri.....S/o.....Resident of  
.....(Bounden) IN FAVOUR OF the Governor of Uttar Pradesh  
(called “The Governor ”)

Whereas :

1. The Bounden above named was / is in the service of the Government of Uttar Pradesh (called “The Government ”) as.....  
( designation ) in.....(name of office).
2. The Bounden above named has retired / is due for retirement on.....
3. A “No demand” certificate is required to be issued in favour of the Bounden by.....  
..... before sanction of Pension, Gratuity etc. to the Bounden but the said certificate could not be issued so far and the scrutiny of records, for that purpose, is likely to take further time.
4. The Government is willing to sanction pension and gratuity etc. to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond being there presents to indemnify and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any monies found due against the Bounden within a period of two years from the date of retirement of the Bounden.

Now this deed witnesses that :-

1. In consideration of Government agreeing to sanction pension and gratuity etc. to the Bounden before issue of “No demand” certificates in his favour, the Bounden hereby covenants with the Government that the Bounden shall pay on demand to the Government, all moneys, which may be discovered within a period of two years from the date of retirement of the Bounden, to be due against him.
2. Any amount due under this deed may, on the certificate of.....  
.....which shall be final, conclusive and binding on the Bounden be recovered from him as arrears of land revenue.

In witness to the above written bond and the conditions thereof, the Bounden has signed here under, on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witness :

1.....

Address

2.....

Address

Signed by Bounden

## संलग्नक-II

This Deed Of Indemnity is made on the.....day of .....  
20.... corresponding to Saka Samvant the .....day of .....20.... by  
(I) Srimati/Sri.....w/o / s/o Late Sri .....  
..... r/o.....(Bounden I) \*  
(2) Sri..... s/o.....  
r/o..... (Bounden II)

(Jointly called the “Bounden”) in favour of the Governor of Uttar Pradesh (called The Governor ”)

Where as :-

1. Late Sri .....was in the service of the Government of Uttar Pradesh (called “The Government”) as .....  
(designation) in.....(name of office).
2. Late Sri.....(called “deceased”) died on.....  
and family pension and death cum retirement gratuity is due to his family.
3. Bounden I is the.....(relationship with deceased)\* and  
Bounden II is the.....(relationship with deceased) and  
is / are entitled to the family pension and gratuity.
4. A “No demand certificate” is required to be issued in regard to the deceased by.....  
.....before sanction of family pension and gratuity  
etc. to Bounden, but the said certificate could not be issued so far and scrutiny of  
records for that purpose is likely to take further time.
5. The Government is willing to sanction family pension and gratuity etc. to the  
Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond being there presents, to  
indemnify and save harmless the Government from any loss which the  
Government may incur by reason of any moneys found due against the deceased  
within a period of two years from the date of his death.

Now the deed witnesses that:-

1. In consideration of Government agreeing to sanction family pension and gratuity etc.  
to the Bounden before issue of “No Demand” certificates, the Bounden hereby  
covenants if necessary (jointly and severally covenant), with the Governor that the  
Bounden shall pay on demand to the Government all money, which may be  
discovered to be due against the deceased within a period of two years from due date  
of this death subject to a maximum of his amount of gratuity and family pension  
paid to the Bounded.
2. Any amount due under this deed may on the certificate of.....  
which shall be final conclusive and binding on the Bounden be recovered from  
her/him/them as arrears of land reenues.

In witness to the above written bond and the conditions thereof, the Bounden  
has/have signed hereunder, on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witness :

1.....

Address

2.....

Address

Signed by Bounden I

Signed by Bounden II

\*If necessary

## प्रपत्र-2

### अन्तिम देय प्रार्थना-पत्र

प्रेषक,

.....  
 .....  
 .....

सेवा में,

मुख्य लेखाधिकारी,

.....

अथवा

निदेशक,

पेन्शन निदेशालय, उ०प्र०

लखनऊ ।

संख्या :

दिनांक.....

**विषय :-पेन्शन प्रपत्रों का अग्रसारण :**

महोदय,

इस कार्यालय के श्री.....नाम.....  
 (पदनाम) के पेन्शन प्रपत्र आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या.....दिनांक.....  
 द्वारा स्वीकृतार्थ अग्रसारित किये गये थे । जिसकी स्वीकृति आपके कार्यालय के पत्र संख्या.....  
 दिनांक..... द्वारा जारी की जा चुकी है । उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति होने पर  
 दिनांक..... को कार्यभार छोड़ दिया गया है ।

(2) उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के अन्तिम दस माह की वास्तविक परिलब्धियों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित सूचना के उपरान्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ है / निम्न परिवर्तन हुआ है :-

**अन्तिम दस माह की औसत परिलब्धियों का पुनरीक्षित आगणन :-**

क्र०सं०	माह का नाम	परिलब्धियाँ
	योग	
	औसत परिलब्धियाँ =(योग ÷ 10)	

(3) इस कार्यालय के उपर्युक्त पत्र दिनांक .....को उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध निम्न मर्दों में उनके विरुद्ध निम्नलिखित धनराशि शेष दर्शायी गयी थी :-

1. भवन निर्माण अग्रिम	₹.....
2. मोटरकार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम	₹.....
3. किसी अन्य प्रकार का अग्रिम	₹.....
4. सरकारी आवास से सम्बन्धित देय धनराशि	₹.....
5. आडिट के परिणामस्वरूप देय धनराशि	₹.....
6. विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय धनराशि	₹.....
7. अन्य मर्दों (मद स्पष्ट की जाय) के अन्तर्गत देय धनराशि	₹.....
योग	₹.....

(4) उपरोक्त सरकारी सेवक द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनांक तक उपर्युक्त सभी धनराशियों का भुगतान कर दिया गया है/ निम्न धनराशियाँ शेष है :-

1. भवन निर्माण अग्रिम	₹.....
2. मोटरकार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम	₹.....
3. किसी अन्य प्रकार का अग्रिम	₹.....
4. सरकारी आवास से सम्बन्धित देय धनराशि	₹.....
5. आडिट के परिणामस्वरूप देय धनराशि	₹.....
6. विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय धनराशि	₹.....
7. अन्य मर्दों (मद स्पष्ट की जाय) के अन्तर्गत देय धनराशि	₹.....
योग	₹.....

(5) उपरोक्त सरकारी सेवक के विरुद्ध सेवानिवृत्ति के दिनांक को लम्बित न्यायिक / विभागीय जाँच की स्थिति निम्नवत् है :-

(6) उपरोक्त सरकारी सेवक को कार्यालय आदेश संख्या.....दिनांक.....  
(जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है) द्वारा ₹.....की अनन्तिम पेन्शन प्रतिमाह तथा संख्या.....दिनांक.....द्वारा ₹.....की धनराशि अनन्तिम सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के रूप में स्वीकृत की जा रही है/चुकी है।

आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर-3 में सेवानिवृत्ति / मृत्यु के दिनांक को देय कुल ₹..... की कटौती करके तथा अन्तिम एवं सेवानिवृत्ति/ मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करके अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
दिनांक सहित  
दिनांक.....

संख्या :

प्रतिलिपि :-

1. कोषागार, .....को इस आशय से प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिकारी / कर्मचारी की सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर-4 के अनुसार कटौती करके (यदि ऐसी कटौती मुख्य लेखाधिकारी / निदेशक पेन्शन, के प्रस्तर से सूचित न की गयी हो) अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें। यदि उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी द्वारा ऐसी धनराशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो तो अपने स्तर पर उसके सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके ग्रेच्युटी की शेष धनराशि अवमुक्त कर दें।

2. श्री.....(पेन्शनर का नाम) ..... (पूर्ण पता) को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
दिनांक सहित

## प्रारूप

डाक्टरी जाँच कराये बिना पेन्शन राशिकरण कराने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप (शाO 1145/दस 7040-78, दिनांक 3 जून, 1980 के अधीन निर्धारित)

मैं.....अपनी.....पेन्शन / रूपया  
.....में से रूपये.....का राशिकरण कराने  
को प्रार्थना करता हूँ। मैं राशिकृत धनराशि का उपयोग पृष्ठ-2 पर उल्लिखित उद्देश्य  
के लिये करूँगा। मुझे यह विश्वास है कि राशिकरण मेरे एवं परिवार के लिये  
विशिष्ट एवं स्थायी रूप से लाभप्रद रहेगा। मैंने नीचे अंकित कॉलम में वांछित  
सूचना ध्यान पूर्वक अंकित की है :-

फोटोग्राफ

(सत्यापन इस प्रकार  
किया जाय कि सील तथा  
हस्ताक्षर फोटो एवं  
फार्म दोनों पर हों)

दिनांक .....

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

पता.....

1. स्पष्ट अक्षरों में नाम :- .....
2. जन्म तिथि :- .....
- 3.(क) सेवानिवृत्ति की तिथि :- .....
- (ख) सेवानिवृत्ति के समय वास्तविक आयु :- .....
4. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम तथा कार्यालय का नाम :- .....
5. पेन्शन की धनराशि :- .....
6. पेन्शन की श्रेणी :- .....
7. खजाने अथवा बैंक का नाम तथा लेखा संख्या जिससे पेन्शन ली जा रही है। :- .....
8. यदि राशिकृत मूल्य की अदायगी उस लेखा अधिकारी के :-  
मार्फत नहीं ली जाती है जिससे पेन्शन प्राधिकृत की  
है तो उस खजाने अथवा बैंक का नाम लिखें जिसके  
मार्फत राशिकृत मूल्य की अदायगी की जाये। .....
9. पी0पी0ओ0 संख्या :- .....
10. रकम (पूर्ण रूपयों में) अथवा पेन्शन का वह भाग :-  
जिसका राशिकरण करने का प्रस्ताव है। .....
- 11.(क) क्या आप उत्तर प्रदेश लिबराइज्ड पेन्शन रूल्स, 1961 :-  
अथवा .....
- (ख) उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 का :-  
नियम 11 अथवा .....
- (ग) उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961(सम्यक) :-  
से शासित है। .....
- (घ) उपर्युक्त (क) अथवा (ख) से शासित होने की दशा में :-  
सकल पेन्शन की धनराशि अंकित की जाय। .....

12. पहले यदि पेन्शन राशिकरण करवाने सम्बन्धी कोई आवेदन-पत्र दिया गया हो तो उसका विवरण तथा क्या पहले कभी आप किसी चिकित्साधिकारी के सामने पेश हुये है अथवा नहीं ।

हस्ताक्षर.....  
पद नाम.....  
दिनांक.....

राशिकरण का उद्देश्य	अनुमानित व्यय
1. भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु	....
2. ऋण की अदायगी हेतु	....
3. बच्चों की शिक्षा हेतु	....
4. विवाह सम्बन्धी व्यय हेतु	....
5. व्यापार आरम्भ करने हेतु	.....

दिनांक.....  
स्थान.....

हस्ताक्षर.....